

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
अज अदालत..... बाडमेर मुकाम.....

पोकरराम बनाम तहसीलदार बाडमेर

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट नं.51..... सन् 2018

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
06.03.2018	<p>प्रार्थी पोकरराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का मौजा शिवकर के खसरा संख्या 108 रकबा 77.10 बीघा भूमि आई हुई थी। उक्त भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु 06.10 बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त अवाप्ति के पश्चात् राजस्व अभिलेख में निम्न प्रकार अंकन किये गये:-</p> <p>खसरा संख्या 1111/108 रकबा 06.10 बीघा (सड़क)</p> <p>खसरा संख्या 1114/108 रकबा 46.10 बीघा खसरा संख्या 1115/108 रकबा 24.10 बीघा <u>02 कुल रकबा 71.00 बीघा</u></p> <p>उक्त राजस्व अभिलेख में अंकन के पश्चात् लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके पर वर्तमान स्थिति के अनुसार है, परन्तु राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में रकबे का अंकन त्रुटिवश अशुद्ध हो गया। वर्तमान में मौके के अनुसार राजस्व अभिलेख की स्थिति निम्न प्रकार है :-</p> <p>खसरा संख्या 1114/108 रकबा 33.00 बीघा खसरा संख्या 1115/108 रकबा 38.00 बीघा <u>02 कुल रकबा 71.00 बीघा</u></p> <p>उक्त जमाबन्दी में अशुद्धि को शुद्ध करवाने का निवेदन किया। आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार बाडमेर से करवाई गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भूअ/2018/731 दिनांक 27.02.2018 द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को की पुष्टि करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा शिवकर का मूल</p>	



उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

खसरा संख्या 108 रकबा 77.10 बीघा किस्म बा.दो. में से सड़क हेतु भूमि अवाप्त होने पर नामान्तकरण संख्या 203 दिनांक 22.06.1976 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 108, 108/1 व 108/2 रकबा क्रमशः 46.10, 24.10 व 06.10 बीघा नवीन खसरे सृजित हुए। वर्तमान जामबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 1116/108 रकबा 06.10 बीघा गै.मु. सड़क तथा खसरा संख्या 1114/108 रकबा 46.10 बीघा व 1115/108 रकबा 24.10 बीघा आवेदक के नाम दर्ज है। मौके पर पैमाईश कर रकबे की जांच करने पर जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं मौके पर स्थित खसरो के रकबे में अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	वर्तमान रेकॉर्डनुसार		मौके के अनुसार		कमी/वैशी रकबा (बीघा)
		खसरा सं.	रकबा (बीघा)	खसरा सं.	रकबा (बीघा)	
शिवकर	पोकरराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1114/108	46.10	1114/108	33.00	-13.10
		1115/108	24.10	1115/108	38.00	+13.10
कुल रकबा		02	71.00	2	71.00	
शिवकर	सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़क	1116/108	06.10	1116/108	06.10	पूर्वानुसार

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उक्त खसरो के अनुसार रकबे में दुरुस्ती की अनुशंसा की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्य एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा शिवकर का मूल खसरा संख्या 108 रकबा 77.10 बीघा किस्म बा. दो. में से सड़क हेतु भूमि अवाप्त होने पर नामान्तकरण संख्या 203 दिनांक 22.06.1976 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 108, 108/1 व 108/2 रकबा क्रमशः 46.10, 24.10 व 06.10 बीघा नवीन खसरे सृजित हुए। वर्तमान जामबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 1116/108 रकबा 06.10 बीघा गै.मु. सड़क तथा खसरा संख्या 1114/108 रकबा 46.10 बीघा व 1115/108 रकबा 24.10 बीघा आवेदक के नाम दर्ज है। जमाबन्दी में अंकित रकबे एवं मौके पर स्थित खसरो के रकबे में अन्तर है। मौके पर स्थित रकबे के अनुसार जमाबन्दी में अंकित रकबा शुद्ध



उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

किया जाता है तो अन्य कोई खातेदार प्रभावित नहीं होता है। मौके की स्थिति के अनुसार जमाबन्दी में रकबा शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1114/108 रकबा 46.10 बीघा व 1115/108 रकबा 24.10 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 1114/108 रकबा 33.00 बीघा व 1115/108 रकबा 38.00 बीघा शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

